राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1779/2022

संतोष कंवर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, कार्मिक विभाग बी–2, सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग बी–2, सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
3. राधेश्याम बोहरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक विभाग बी–2, प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
4. लक्ष्मी नारायण पीपलीवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक विभाग बी–2, प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मधुमिता सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 27.01.2017 के द्वारा हुई थी। दिनांक 06.05.2021 को स्थायी वरियता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 237 पर था। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021–22 के लिए राजस्थान सचिवालय सेवा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक ग्रेड–।। के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 26.10.2021 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। अपीलार्थी ने इस संबंध प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी किये जाने एवं अपीलार्थी की पदोन्नति के लिए विचार किये जाने की प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति के आदेश दिनांक

26.10.2021. कार्मिक (ख–2) विभाग द्वारा दिनांक 25.10.2021 को जारी पात्रता सूची के आधार पर किये गये जिसके अनुसार सभी कार्मिक पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता धारित करते थे। अपीलार्थीया के सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार उनके द्वारा 10वीं पास उपरान्त 12वीं पास नहीं कर सीधे ही बी.ए. की योग्यता अर्जित की गई, तथा आर.एस.सी.आई.टी. योग्यता अर्जित नहीं किये जाने के इनका नाम पात्रता सूची में नहीं भेजा जा सका। अपीलार्थी द्वारा बी.ए.पी. (सीनियर सैकेण्डरी के समकक्ष) प्रमाण पत्र के इंद्राज हेतु वर्ष 2022–23 में दिनांक 31.01.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षा के इन्द्राज हेतु दिनांक 07.03.2022 को आवेदन किया गया जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति वर्ष 2021–22 में दिनांक 26.10.2021 को हो चुकी थी। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 17 के अनुसार किसी शिक्षण संस्थान में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में संबंधित विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं ले सकते। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2021 में आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने की विभाग से पूर्व अनुमति नहीं लिये जाने के कारण विभाग द्वारा आर.एस. सी.आई.टी. योग्यता प्रमाण पत्र वर्ष 2021 का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मूख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता धारण करता है, फिर भी अपीलर्थी की डीपीसी में विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1999 में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने जनवरी, 2001 में बीएपी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपीलार्थी ने दिसम्बर, 2003 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार अपीलार्थी पदोन्नति के लिए समस्त योग्यता रखता था। अपीलार्थी ने आरएससीआईटी की परीक्षा फरवरी, 2021 में उर्त्तीण कर ली। इसके उपरांत भी अपीलार्थी की वरियता पर विचार नहीं किया गया। इसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी ने 10 वीं के उपरांत 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की और सीधे ही बीए की योग्यता अर्जित की और आरएससीआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के कारण उनका नाम पात्रता सूची में नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने बीएपी की परीक्षा

उत्तीर्ण की है, जो 12 वीं के समकक्ष है, जिस कारण से अपीलार्थी पर विचार किया जाना चाहिए था। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने आरएससीआईटी की परीक्षा वर्ष फरवरी, 2021 में उत्तीर्ण कर ली थी। इसलिए अपीलार्थी पदोन्नति के लिए समस्त योग्यता रखती था। हमनें अपीलार्थी के बीएपी के प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। उक्त प्रमाण पत्र वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी की परीक्षा जनवरी 2021 में उत्तीर्ण करना दर्शाया गया है। उक्त प्रमाण पत्र 22 नवंबर, 2021 को जारी किया गया है। इस प्रकार पात्रता सूची दिनांक 25.10.2021 को जारी होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा बीएपी की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग ने 12वीं पास का कोई इन्द्राज रिकॉर्ड में नहीं होना बताया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी ने आरएससीआईटी की परीक्षा पास करने के संबंध में जो स्वीकृति चाही थी, वह वर्ष 2018 में सम्मिलित होने के लिए मान्य थी, परंतु अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा वर्ष 2018 में उत्तीर्ण नहीं की थी। बाद में आरएससीआईटी की परीक्षा फरवरी 2021 में पास करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और इसी आधार पर वर्ष 2021 की आरएससीआईटी की योग्यता का इन्द्राज सेवा अभिलेख में नहीं किया गया है, जिसमें कोई नियम–विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। प्रत्यर्थी विभाग के सर्विस रिकॉर्ड में 12वीं पास करने की रिपोर्ट नहीं होने एवं नियमानुसार आरएससीआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़ा गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

4. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)